न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारा चन्द बनाम भगवानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे. मु.न. - 8/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ... हुक्म की तामी... में जारी हुए
15-07-24	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। बमुलाहिजा उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 20-01-2023 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
08 / 2023	2023 / 30	20-01-2023	15/7/2024

उनवान प्रकरण

1. ताराचन्द पुत्र हीरालाल आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी मोदयावाली तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

——प्रार्थी

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र हीरालाल
2. मुकेश पुत्र हीरालाल

   समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी मोदयावाली तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)
3. पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. उपपंजियक श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

——अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।

श्री दीपक बाजिया, एड0 अप्रार्थी संख्या 2 अभिभाषक,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 542, 913, 914, 916, 917, 918, 920 कुल किता 7 कुल रकबा 2.48 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसकी 1/40 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम एवं 1/80 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम एवं 1/40 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम एवं शेष हिस्से की खातेदारी दावे में प्रतिवादी नम्बर 3 ता 25 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 आपस में सगे भाई है तथा अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है जो कि येन केन प्रकारेण प्रार्थी को बरबाद करने पर तुले हुये है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमियां प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमियां है तथा उक्त भूमियॉ है तथा उक्त भूमियों का पक्षकारान के मध्य कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ हैं तथा बिना विधिक विभाजन सहखातेदार का कानूनन इंच इंच पर हक हिस्सा अधिकार होता है तथा बिना विधिक तकास्मा कराये अन्तरित का हक अधिकार नही होता है। अप्रार्थीगण के मन में वर्तमान समय में जमीनों की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण बदयान्ति आ गयी है तथा अप्रार्थीगण द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से प्रार्थी से वाद–विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग करने में अवरोध कारित किया जाता है तथा बात–बात को लेकर झगडे फिसाद एवं मरमार करने पर अप्रार्थीगण उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का प्रार्थी का अप्रार्थीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया हैं तथा प्रार्थी अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एवं उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहा है। अप्रार्थीगण वर्णित भूमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवायें ही भूमियों को दीगर भूमाफियो को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के [illegible] पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित [illegible] करने एवं विशिष्ट भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि [illegible] परिवर्तित करने एवं दीगर को अन्तरण करने एवं विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा [illegible] एवं करवाने की एहलानियां धमकीयां दे रहे है व प्रार्थी को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

धमकीया दे रहे है व कुचेष्टा कर रहे है। जिनको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नही है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा कराये उक्त वर्णित भूमि को बढती हुयी कीमते के कारण उनके मन में बदयान्ति आने पर दीगर भूमाफियाओं को विशिष्ठ भू–भाग को बैचान करने एवं जबरन विशिष्ठ भू भाग पर कब्जा कराने पर आमाद है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमियों का बंटवारा नहीं कर रखा है। इसलिए प्रार्थी ने उपरोक्त भूमियों का बंटवारा करवाने हेतु अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 को कहा तो वे आजकल–आजकल करते रहें तथा दिनांक 15.01.2023 को अप्रार्थीगण ने भूमियों कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ठ इन्कार कर दिया तथा बिना विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ उपजाउ भाग पर जोर जबरन से अतिकमण करने व कब्जा करने एवं कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमियों में जबरन ताकत के बल पर निर्माण करने की एहलानिया धमकी देने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता–दौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 542, 913, 914, 916, 917, 918, 920 कुल किता 7 कुल रकबा 2.48 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान को बिना विधिक बंटवारा कराये दीगर अजनबी, भूमाफियावृति के लोगो को किसी प्रकार से विकय पत्र, इकरारनामा, दानलेख, से अन्तरित नही करे, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर सिकी को रहन रखें, ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ठ भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें, ना ही उक्त भूमियों के किसी भी भू भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करे, ना ही दीगर से करावे, ना ही प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त, रिहायश में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करें,ना ही दीगर से करावे, ना हीऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थी के हक हकूकों पर कोई विपरित असर पड़ता हो एवं अप्रार्थीगण नम्बर 3 ता 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि के बाबत पेश होने वाले किसी भी अन्तरण लेख, विकय लेख, रहन लेख इत्यादि को तस्दीक नही करे, ना ही रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नं 2 की ओर से श्री दीपक बाजिया एड० ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिसे वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 21.04.2023 को विड्रा कर लिया गया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 लगायत 5 के नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड० उपस्थित आये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर दिये जाने तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 3 लगायत 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस हेतु सहमति व्यक्त की।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमियॉ प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 1/40-1/40 हिस्सा व अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम 1/80 हिस्से एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 25 के नाम शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आपस में सगे भाई है। उक्त भूमियॉ का पक्षकारान् के मध्य कोई विधिक विभाजन नहीं होना तथा बिना विधिक विभाजन के प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन इंच इंच पर हक हिस्सा अधिकार होना तथा बिना विधिक तकास्मा कराये किसी को भी अन्तरित का हक अधिकार नहीं होता है। अप्रार्थी नम्बर 1 ता 2 के द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बनाकर प्रार्थी को बर्बाद करने पर उतारू होने तथा जमी[illegible] बढ़ने के कारण अप्रार्थीगण के मन में बदयान्ति आ जाने से प्रार्थी के साथ आ[illegible] वाद विवाद उत्पन्न किया जाकर काश्त करने में अवरोध कारित किया जा रहा है तथा लड़ाई झगड़ा फिसाद एंव मरमार करने पर उतारू होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की गई है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 भूमि को बाला-बाला रूप से विशिष्ट जगह की भूमि पर निर्माण व कब्जा कर प्रार्थी के हक हिस्से में आई हुई भूमि पर जबरन अतिक्रमण आदि करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बदलने व खुर्द-बुर्द करने की एहतालिगों धमकी देने से अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने एवं प्रार्थी वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थीगण को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी एवं उत्तरदाता एवं अन्य अप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से की भूमियों पर मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसमें प्रार्थी का भूमि खसरा नम्बर 542, 913, 914, 916, 917, 918, 920 कुल किता 7 कुल रकबा 2.48 हैक्टर में 1/40 वा हिस्सा अर्थात 0.062 हैक्टर भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में बनती है। इसी तरह अप्रार्थी सं. 2 का भी 1/40 हिस्सा अर्थात 0.062 हैक्टर भूमि कब्जा काश्त एवं खातेदारी में आती है। अप्रार्थीगण इसी तरह शेष अप्रार्थीगण की भूमि की राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बनती है। प्रार्थी जिसका प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कुल भूमि में 1/40 हिस्सा बनता हैं जिसके अनुसार 0.062 हैक्टर भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा काश्त होना चाहिये। जबकि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि में अपने हिस्से 1/40 से ज्यादा जाकर भूमि को कॉलोनी के रूप में विकसित कर अलग-अलग भूखण्डो में दीगर लोगो को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय लेख एवं इकरारनामे में बेचान कर उनका कब्जा सम्भला कर पक्के मकान बना लिये है। इसके साथ ही अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान प्रार्थी द्वारा किया जा चुका हैं। जिसका कोई कानूनी अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी से ज्यादा भूमि का बेचान करने से प्रार्थी के खिलाफ अलग से 420, 406, 467, 468, 471 आईपीसी में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा चाराजोही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की खातेदारी से ज्यादा बेचान की गई भूमि को निरस्त करवाने के उत्तरदाता एवं अन्य अप्रार्थीगण अधिकारी हैं। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से एवं खातेदारी की भूमि मे से जो बेचान किया वे इस प्रकार है :- 1. राजेश कुमार पुत्र रामभजन जाति जाट निवासी जीणमाता मन्दिर [illegible] श्रीमाधोपुर को 55.55 वर्गगज भूमि, 2.रेखा अग्रवाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति [illegible] निवासी खाटुवाला मौहल्ला वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर को 200 वर्गगज भूमि 3.कल्पना अग्रवाल पत्नी राकेश कुमार जाति महाजन निवासी खाटूवाले का मौहल्लावार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर को 200 वर्गगज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

ईकरारनामे से एवं विक्रय लेख की 190 वर्गगज का बेचान 4 पुष्पा देवी पत्नी बनवारीलाल जाति महाजन निवासी खाटूवाला मौहल्ला वार्ड नम्बर 11 श्रीमाधोपुर को जरिये ईकरारनामा बेचान 64.78 वर्गगज भूमि साथ ही स्वयं के पास लगभग 200 वर्गगज भूमि है। जिस पर प्रार्थी ने अपना पक्का मकानात/पार्किंग बना रखी हैं। उक्त प्रार्थी के बैचानशुदा एवं स्वयं के भूखण्डो मे उत्तर में 30 फुट चौडा रास्ता की इसी भूमि मे से है। जिसके प्रार्थी के हिस्से मे 400 वर्गगज भूमि का रास्ता आता है अर्थात कुल 1119 वर्गगज भूमि जिसमे प्रार्थी की खातेदारी सिर्फ 744 वर्गगज भूमि ही बनती है। उक्त सभी विक्रय ईकरारनामो की प्रतिलिपि जवाव प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा के साथ संलग्न की गई हैं। साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने यह भी अवगत कराया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब टी0आई0 पेश किये जाने तक रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था। जबकि अप्रार्थीगण द्वारा दूसरी तारीख पेशी पर ही जवाव टी0आई0 पेश की जा चुकी थी। वकील प्रार्थी ने स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा पेश नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अरथायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, विक्रय लेख दिनांकित 20.02.2015केता राजेश कुमार पुत्र रामभजन जाट, 17.05.2014 केता रेखा देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार महाजन, 17.05.2014 केता कल्पना देवी पत्नि राकेश कुमार महाजनएंव इकरारनामा लेख–दो, दिनांक 14.05.2014 व विकय इकरारनामा दिनांक 07.02.2015 केता पुष्पा देवी पत्नि बनवारी लाल महाजन नि0 श्रीमाधोपुर व इसके संलग्न नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी व [illegible] संख्या 1 व 2 एक ही परिवार के होकर आपस में [illegible] भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि होना तथा उक्त [illegible] बटवारा नहीं होना प्रकट होता है। जिसमें प्रार्थी के द्वारा दीगर व्यक्तियों को [illegible] भू भाग का हिस्से में बैचान किया जाना तथा वैचान विक्रय लेख में चारो दिशाओं का विवरण होना अंकित है। जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमियो का पक्षकारान् के मध्य बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा जहाँ -जहाँ पक्षकारान् का कब्जा है वहीं पर विक्रय लेख पंजीबद्ध करवाया जाना प्रकट होता है। प्रार्थी के हक हिस्से मे दर्ज 1/40 हिस्से मे कुल 0.062 हैक्टर जमीन आना रिकार्ड से प्रकट होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने नाम दर्ज हक हिस्से मे मकान आदि बनाकर रिहायश करना तथा हिस्से से ज्यादा भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय लेख एंव विक्रय ईकरारनामा के आधार पर बैचान किया जाना प्रकट होता है। प्रार्थी द्वारा विक्रय लेख दिनांकित 20.02.2015 केता राजेश कुमार पुत्र रामभजन जाट, दिनांक 17.05.2014 केता रेखा देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार महाजन, दिनांक 17.05.2014 केता कल्पना देवी पत्नि राकेश कुमार महाजन एंव इकरारनामा लेख-दो, दिनांक 14.05.2014 व विक्रय इकरारनामा दिनांक 07.02.2015 केता पुष्पा देवी पत्नि बनवारी लाल महाजन नि0 श्रीमाधोपुर हक में लिखाया जाकर उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के यहाँ तस्दीक करवाया जाना दस्तावेजात् से प्रकट होता है। उक्त विक्रय लेखों के आधार पर ही केतागणों के द्वारा तत्समय मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया जाना तथा उक्त कयशुदा भूखण्डों की खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड नहीं होना भी प्रकट होता है। प्रार्थी व अप्रार्थी पक्षकारान् के नाम वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होना व बिना बंटवारा के प्रार्थी द्वारा दीगर व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजी भूमि में विशिष्ट भू भाग स्वंय के द्वारा ही बेचा गया है और स्वंय के द्वारा ही अप्रार्थीगण को पाबन्द कराना चाहते है। सयुंक्त खातेदारी में दर्ज सह खातेदारान् काश्तकारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित प्रतित होता है। राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् के अवलोकन से भी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी भूमि में से प्रार्थी के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख व विक्रय इकरारनामा के माध्यम से भूमि का विक्रय किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी खातेदार काश्तकार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना कतई न्यायोचि[illegible] नहीं होता है। प्रार्थी के द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमियों [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय लेखों एंव विक्रय इकरारनामों के आधार पर कर दिये जाने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में होना पाया जाता है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में होना पाया जाता है तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में ही होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी सुरत में पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.01.2023 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

15/7/24
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.23 11:29:15 IST
Reason: SelfAttested

15/7/24
(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)